जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 12.01.2025**

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

आज दिनांक 12.01.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अजय सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री रामकृष्ण मिश्र के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता संजय यादव पुत्र नागेन्द्र यादव निवासी खैरगाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत उसके घर से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 12.01.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का0 रजनीश यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत डुहियापुल से कालर द्वारा दो बाईक आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियो (1. श्रवण पुत्र रजिन्द्र प्रसाद ग्राम भैसाटिकर थाना धनघटा जनपद-सन्तकबीरनगर 2. गौतम राजभर पुत्र दुर्गा प्रसाद ग्राम कुदरहा थाना लालगंज जनपद बस्ती) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायलो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 ऋषभ राय, आ0 मुकेश पाल, हो0चा0 राकेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 100 वाहनों से 1,24,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 100 वाहनों से 1,24,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री केशवनाथ के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0स0 397/2024 धारा 137(2), 87, 61(2), 351(3) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सतायन उर्फ सत्यनरायन पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्दन भूज निवासी बरईपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को बढ़या ठाठर पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 31.12.2024 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 12.01.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।